न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां

वाद संख्या 660/2020 दिनांकः–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–ःआदेशः–

पत्रावली पेश हो सरकारी पैरोकार उपस्थित

अप्रार्थीगण को भेजे गए सम्मन बाद तामिल शुदा प्राप्त हुए दिनांक 4.01.2021 न्यायालय समय में अप्रार्थीगण को बार–बार आवाजें लगाई गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं हए। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई बहस सुनी गई बहस पर मनन किया। पत्रावली पत्र उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

रास्व विभाग (ग्रुप–6) के पत्र कमांक प. 3(2) राज–6/2006/पार्ट दिनांक 10.08.2016 राजस्थान सरकार द्वारा जारी रास्ता अभियान के अन्तर्गत रास्तों की समस्या के निवाराणार्थ राजस्व विभाग में सर्वे करवाकर मौके पर जारी रास्तो के राजस्व रेकर्ड में अंकन बाबत प्रस्ताव आमंत्रित किया गया। इसी संदर्भ में तहसीलदार ओसियां द्वारा तहसील ओसियां के पटवार मण्डल सिरमण्डी ग्राम खाबडा कलां की सरहद में करणीनगर से वीरतेजानगर जाने वाली सडक से मेघवालों (गन्डेरों) की ढाणी स्कूल से भारता माला रोड तक सर्वजनिक रास्ता दर्ज करने के प्रस्ताव प्रेषित किए गए। 0.0441 हेक्ट. किस्म बारानी तृतीय ख.न. 119 रकबा 59.2621 हैक्ट बारानी चतुर्थ में से 0.4155, ख.न. 130 रकबा 14.8924 हैक्ट बारानी चतुर्थ में से 0.1234 हैक्ट भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हे। तहसीलदार ओसियां को आदेश किया जाता है कि इस अनुसार मौके पर रास्ता चालू होने की स्थिति में राजस्व रेकर्ड (जमाबन्दी एवं नक्शे) में नियमानुसार अंकन किया जावे। निजि खातेदारी की भूमि में से स्थायी सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा। परन्तु जमाबन्दी व नक्शे में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाएगा और भूमि किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जावे। राजकीय भूमियों के अधीन भूमियों में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में रेकर्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार ओसियां आदेशानुसार दर्ज कर पालना इस न्यायालय को प्रेषित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक......18/11/21......को सुनाया गया।

पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रतनलाल रेगर)

उपखण्ड अधिकारी ओसियां

Scanned with CamScanner